न्यायालय–अपर जनपद एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 ,सिद्वार्थनगर।

उपस्थितः–अशोक कुमार–नवम, एच0जे0एस0।

UPSD010037362016

Electricity Act/3/2016

सरकार ————अभियोजन।

बनाम

चन्द्रपाल पुत्र मुक्तिनाथ, निवासी बानगंगा चौराहा, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्वार्थनगर।

————अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ——————————विपक्षी/आपत्तिकर्ता,

मु0अ0सं0————————1897/2015

अन्तर्गत धारा–136 ख विद्युत अधिनियम।

थाना–शोहरतगढ़, जनपद सिद्वार्थनगर

निर्णय

पुलिस थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्वार्थनगर द्वारा अभियुक्त चन्द्रपाल को धारा 136 ख विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचारण किये जाने हेतु आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनॉक 27–12–2015 को समय 00.00 बजे वादी मुकदमा ई0 सुनील कुमार यादव द्वारा विद्युत चोरी चेंकिग अभियान के दौरान उपभोक्ता चन्द्रपाल पुत्र मुक्तिनाथ, निवासी बानगंगा चौराहा, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्वार्थनगर को अवैध रूप से विद्युत की चोरी करते हुए पाया गया। वादी मुकदमा द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में थाना शोहरतगढ़ में लिखित तहरीर दी गयी, जिसके आधार पर अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र मुक्तिनाथ, के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–1897/2015, अन्तर्गत धारा 136 ख विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना थाना शोहरतगढ़ ,जिला सिद्वार्थनगर की पुलिस द्वारा की गई। दौरान विवेचना विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया और गवाहान का बयान अंकित किया। उसके पश्चात विवेचना सम्बन्धी अन्य कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अभियुक्त चन्द्रपाल के विरूद्व धारा 136 ख विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त चन्द्रपाल न्यायालय में उपस्थित आया। दिनॉक 13—04—2017 को अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गयी। अभियुक्त को आवश्यक अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान की गई। अभियुक्त के विरूद्व न्यायालय द्वारा धारा 136 बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दिनॉक 09—06—2017 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की मॉग की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में विद्युत विभाग के विशेष विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू0—1 अनूप कुमार श्रीवास्तव वाद लिपिक विद्युत वितरण खण्ड सिद्वार्थनगर को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्युत विभाग के विशेष विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित न किये जाने का कथन किया गया। तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त की गयी।

दिनॉक 18—1—2023 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने घटना से इन्कार किया, रंजिशन मुकदमा चलना बताया और सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

मैने अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

हस्तगत मामले में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—1 अनूप कुमार श्रीवास्तव वाद लिपिक विद्युत वितरण खण्ड, सिद्वार्थनगर द्वारा अपने सशपथ बयान में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त चन्द्रपाल के विरूद्व थाना शोहरतगढ़ मे मु0अ0सं0—1897/2015 का दर्ज कराया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क मु0 10,000 रूपये रसीद संख्या—34512309112209090013 से दिनॉक 09—11—2022 को एवं राजस्व निर्धारण शुल्क मु0 11308 रूपये रसीद संख्या—34512309112209090012 से दिनॉक 08—11—2022 को सम्बन्धित विभाग में जमा कर दिया गया है। जिसकी इस साक्षी ने पुष्टि की है, और अनापति प्रमाण पत्र को प्रदर्श क—1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने बयान दिया है कि अभियुक्त के ऊपर कोई बकाया राशि नहीं है। उपरोक्त साक्षी के बयान तथा पत्रावली में संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त चन्द्रपाल द्वारा राजस्व निर्धारण शुल्क मु0 11308 रूपये रसीद संख्या—34512309112209090012 से दिनॉक 08—11—2022 को विभाग में जमा किया जा चुका है तथा कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सिद्वार्थनगर द्वारा जारी पत्र पत्रॉक संख्या—2580/वि0वि0ख0—(सि0) दिनॉकित 09—11—2022 पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 (2) के अन्तर्गत इस आशय का प्रावधान किया गया है कि उपधारा (1) के अनुसार धन की राशि का संदाय होने पर, उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति मुक्त कर दिया जाएगा और किसी भी विचारण न्यायालय में उस उपभोक्ता अथवा व्यक्ति के विरूद्व कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं की जाएगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी के द्वारा किसी उपभोक्ता या विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियुक्त से यथा विनिर्दिष्ट अपराध के समाधान (Compounding) के रूप में धन की राशि प्राप्त कर सकने का प्रावधान किया गया है। विशेष अधिवक्ता (विद्युत विभाग द्वारा) इस आशय की रिपोर्ट का पृष्ठांकन किया गया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 152 (1) के अनुसार धन की राशि का संदाय किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि विद्युत वितरण खण्ड सिद्वार्थनगर द्वारा जारी पत्र पत्रॉक संख्या—2580/वि0वि0ख0 (सि0) दिनॉकित 09—11—2022 के अनुसार भी अभियुक्त द्वारा निर्धारण शुल्क मु0 11308 रूपये रसीद संख्या 34512309112209090013 से दिनॉक 08—11—2022 को विभाग में जमा कर दिया गया है तथा विद्युत विभाग की ओर से उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में समान प्रकृति के किसी अन्य अपराध में विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्वि का तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया है। अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्वि के साक्ष्य के अभाव में तथा समस्त बकाया धनराशि जमा किये जाने की दशा में, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले को समाप्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त चन्द्रपाल धारा 152 (2) विद्युत अधिनियम 2003 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और आरोपित मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त चन्द्रपाल को धारा 136 बी विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा दाखिल बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनॉकः—20—01—2023

(अशोक कुमार—नवम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—1 ,सिद्वार्थनगर ।
आई0डी0 नम्बर—यू0पी0 5975

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः—20—01—2023

(अशोक कुमार—नवम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—1 ,सिद्वार्थनगर ।
आई0डी0 नम्बर—यू0पी0 5975